

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कमलेशकुमार पुत्र शंकरलाल जाति मेगवाल, निवासी नयागांव तहसील बायतु, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		अचलनाथ पुत्र वीरनाथ जाति स्वामी, निवासी रामदेवनगर, मौखाब तहसील शिव जिला बाड़मेर वगैरा (14)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,53,188)

मुकदमा नम्बर 151 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.10.2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक <u>21.11.2022</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	<p>4477-91 31.10.22</p>
21.11.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट पेश की, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण का इंतजार होकर फाइनल दिनांक 26.12.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
26.12.22	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीमर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>18.01.23</u> को पेश हो।</p>	
18.01.23	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीमर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>24.2.23</u> को पेश हो।</p>	



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम्बर
अहमदाबाद
हुकम
में जारी

04.12.25

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
वादी वकील द्वारा उक्त वाद में पक्षकारान्
के मध्य आपसी सहमति से विभाजन
होने पर पत्रावली जलिये विद्दो काले
का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
वादी वकील को प्रार्थना पत्र पर
सुना। चूंकि वादी वकील द्वारा पत्रकारान्
के मध्य सहमति बटकाए होने से
वाद खारिज काले का अनुरोध
चाहत माल है। अतः उक्त वाद में
सहमति बटकाए ले जाटा गया अनुरोध
ग्रहण हो जाने से वाद का कोई
अर्थित्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्टेज
पर जलिये विद्दो खारिज किया जाता
है।

पत्रावली फंसल होकर नम्बर से
कम होकर टासिलेन डफ्तर हो।

सहायक कानूनदार
शिव (बाडमेर)